सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022 *Pausa 22, Wednesday , Saka 1943- January 12, 2022*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 12, 2022

संख्या एफ.15(43)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2021/27:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी / 21/ 3031 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (1) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत गोविन्दगढ सम्पूर्ण क्षेत्र, जिला अलवर को एतदवारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत गोविन्दगढ की विद्यमान सीमायें ही नवगठित नगरपालिका गोविन्दगढ, जिला अलवर की स्थानीय सीमायें रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका गोविन्दगढ में सम्मिलित ग्राम पंचायत गोविन्दगढ सम्पूर्ण क्षेत्र, जिला अलवर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
अपर्णा अरोरा,
प्रमुख शासन सचिव।

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 12, 2022

संख्या एफ.15(43)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2021/28:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी / 21/ 3101 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (1) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत बोरावड सम्पूर्ण

क्षेत्र, जिला नागौर को एतदवारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत बोरावड की विद्यमान सीमायें ही नवगठित नगरपालिका बोरावड, जिला नागौर की स्थानीय सीमायें रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका बोरावड में सम्मिलित ग्राम पंचायत बोरावड सम्पूर्ण क्षेत्र, जिला नागौर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
अपर्णा अरोरा,
प्रमुख शासन सचिव।

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 12, 2022

संख्या एफ.15(43)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2021/29:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी / 21/ 3185 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (1) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत कोटकासिम सम्पूर्ण क्षेत्र, जिला अलवर को एतदवारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत कोटकासिम की विद्यमान सीमायें ही नवगठित नगरपालिका कोटकासिम, जिला अलवर की स्थानीय सीमायें रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका कोटकासिम में सम्मिलित ग्राम पंचायत कोटकासिम सम्पूर्ण क्षेत्र, जिला अलवर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
अपर्णा अरोरा,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।